

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :-महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 72/2020 ज.प.न

श्री अमवानलाल पित्त जग्गु जग्गी मामी नि करेडा करेडा  
वर्ग 0/

—प्रार्थी।

बनाम  
1-श्री बंशीलाल श/ देवा मामी नि करेडा करेडा वर्ग 0/

—विपक्षीगण।



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 10/8/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा भू0अ0नि0 क्षेत्र करेडा नके खाता संख्या 20/2 की आ0नं0 1479, 1481, 1497, 1499, 1501, 1730, 1784, 1827, 1830, 1866, 2668 कुल कित 11.57 रकबा 13.03 बीघा 12 डिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य जी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। में प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09/08/2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से रगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की फेरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया कर ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा भू0अ0नि0 क्षेत्र करेडा में उनके खाता 20/2 की आ0नं0 1479, 1481, 1497, 1499, 1501, 1730, 1784, 1827, 1830, 1866, 2668 कित 11.57 रकबा 13.03 बीघा भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की त्रा जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि. करेडा को 1552/- रुपये मेशनर फीस पर कमिशनर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। मेशनर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये त्तकिल विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।  
लंगन :-प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी  
करेडा जिला भीलवाडा

तिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
करेडा जिला भीलवाडा